न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, खगड़िया।
उपस्थितः ऋषि चंदन,
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट,
खगड़िया।
अलौली थाना कांड संख्या–492/2025
जमानत आवेदन संख्या–210/2026
गोविन्द कुमार बनाम बिहार राज्य

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
28.03.2026	काराधीन अभियुक्त गोविन्द कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन अलौली थाना कांड संख्या–492/2025, जी.आर.संख्या–3114/2025 अंतर्गत धारा–137(2), 96, 3(5)बी.एन.एस के तहत उसके विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबली चौधरी के द्वारा दाखिल किया गया। जमानत आवेदन को आज संचालित किया गया। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के बिन्दु पर कथन किया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस केस में गलत ढंग से फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 04.02.26 को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है एवं तब से वह कारा अभिरक्षा में है। इस वाद की पीड़िता शिवानी कुमारी के पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं धारा–183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि उसका किसी ने अपहरण नही किया है। वह अपनी इच्छा से अपना घर छोड़कर गयी थी। पीड़िता को विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा रिमांड होम भेजा गया है। आवेदक के विरुद्ध आरोपित धाराओं का अपराध नहीं बनता है। आवेदक समुचित बंधपत्र दाखिल करने व विचारण का सामना करने को तैयार है एवं उसके फरार होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने का निवेदन किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है। सूचक अमरजीत शर्मा के टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.11.25 को सुबह करीब 04.00 बजे सूचक की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से 300 मीटर की दूरी पर अपने किराना दुकान की साफ–सफाई करने जा रही थी कि रास्ते में गोविन्द कुमार, कृष्ण कुमार, बहला–फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर गायब कर दिया है। अपहरण कराने में प्रथम नामित के भाई	

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, खगड़िया।
उपस्थितः ऋषि चंदन,
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट,
खगड़िया।
अलौली थाना कांड संख्या–492/2025
जमानत आवेदन संख्या–210/2026
गोविन्द कुमार बनाम बिहार राज्य

<table>
<tr>
<td>लगातार : 2
28.03.2026</td>
<td>गणेश कुमार, उसकी मां गिरजा देवी, सिकन्दर शर्मा, सुजीत कुमार का भी सहयोग है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता ने अपने अनुसंधान के क्रम में केस डायरी के कंडिका–3 में वादी का पुनःबयान व कंडिका–8, 9 में अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया गया है जिसमें सभी ने अभियोजन कथन का समर्थन किया है। कंडिका–46 में अपहृता के द्वारा धारा–183 दं0प्र0सं0 के तहत दिये गये बयान का उल्लेख है जिसमें उसने अपनी मर्जी से आवेदक अभियुक्त के साथ जाने एवं उससे शादी करने की बात कही है। केस डायरी के कंडिका–17 में पीड़िता का संबंधित विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 01.01.2011 का उल्लेख है जिससे घटना तिथि को पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम परिलक्षित है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद मुख्य अभियुक्त है एवं मामले में उसके विरुद्ध अनुसंधान अभी जारी है।

वाद के तथ्यों, परिस्थितियों, अपहृता की उम्र एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)
ह0.
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो,
खगड़िया।

<table><tr><td>Date of Order</td><td>28-03-2026</td></tr><tr><td>Date of Reserving Order</td><td>28-03-2026</td></tr><tr><td>Uploading Date</td><td>30-03-2026</td></tr><tr><td>Uploading by</td><td>Rakesh Ranjan Kumar</td></tr></table></td>
<td></td>
</tr>
</table>